



राजस्थान सरकार
निदेशालय खान एवं भू-विज्ञान विभाग, राजस्थान

शास्त्री सर्कल, उदयपुर। दूरभाष: 0294-42415092

Web: www.mines.rajasthan.gov.in

Email: estt.uda.mg@rajasthan.gov.in



क्रमांक:-निदे/नियु-5/प. रिब्यु डीपीसी(ई-09141)/क.स./2025

दिनांक : यथा हस्ताक्षर

--:: कार्यालय आदेश ::--

राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम-1999 के अन्तर्गत वर्ष 2022-23 से 2023-24 तक पुनरावलोकन एवं वर्ष 2024-25 की नियमित हेतु गठित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 23.12.2025 की अनुशंषा के अनुसरण में निम्नांकित **चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी** को वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित रिक्ति दिनांक से **कनिष्ठ सहायक** के पद पर पे-मेट्रिक्स लेवल-05 में एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है :-

क्र. सं.	कार्मिक का नाम	जन्म तिथि	चयन श्रेणी	चयन वर्ष	रिक्ति दिनांक	विशेष विवरण
1.	श्री मोहनलाल भील(अजजा)	01.05.1988	अजजा	2022-23	01.04.2022	
2.	श्री मोहनलाल निशान(अजा)	15.07.1983	अजा	2022-23	01.04.2022	
3.	श्री भारतराम	15.03.1991	सामान्य	2022-23	01.04.2022	
4.	श्री गजेन्द्र सिंह	01.07.1992	सामान्य	2022-23	01.04.2022	
5.	श्रीमती आशा देवी	01.05.1975	सामान्य	2023-24	01.04.2023	
6.	श्री शिवलाल नागदा	06.03.1969	सामान्य	2024-25	01.04.2024	
7.	श्री रतन सिंह राठौड	05.06.1983	सामान्य	2024-25	01.04.2024	

नोट:-

- जिन कार्मिकों की सेवानिवृत्ति/निधन हो चुका है, के अतिरिक्त शेष उपर्युक्त नवपदोन्नत कार्मिक जो वर्तमान में विभाग में कार्यरत हैं, अपने वर्तमान पद को अस्थाई रूप से यथा आवश्यकता क्रमोन्नत मानते हुए कार्यग्रहण कर अग्रिम आदेश तक यथावत कार्यरत रहेंगे एवं कार्यग्रहण रिपोर्ट नियन्त्रण अधिकारी के मार्फत निदेशालय को प्रेषित करेंगे।
- पदोन्नति पर पदस्थापन के आदेश पृथक से जारी किए जाएंगे।
- संबंधित नियंत्रण अधिकारी उपर्युक्त पदोन्नत होने वाले कार्मिकों का वेतन निर्धारण करने से पूर्व, उनसे संतान संबंधी घोषणा पत्र प्राप्त कर रिक्ति दिनांक की स्थिति में संतानों की संख्या का आंकलन करते हुए कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.7(1)कार्मिक/क-2/95/पार्ट दिनांक 16.03.2023 एवं उक्त अधिसूचना के अनुसरण में कार्मिक विभाग द्वारा समय-समय पर जारी स्पष्टीकरण/परिपत्र को दृष्टिगत रखते हुए नियमानुसार वेतन निर्धारण करेंगे एवं वेतन निर्धारण की सूचना मय संतान घोषणा पत्र निदेशालय को प्रेषित करेंगे। निधन/सेवानिवृत्त कार्मिकों को काल्पनिक लाभ ही देय होगा।
- यह पदोन्नति आदेश लंबित न्यायिक वाद यदि कोई हो, के अन्तिम निर्णय के अध्यक्षीन परिवर्तनशील रहेगा।

(एम.पी. मीणा)
निदेशक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- संयुक्त शासन सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, राजस्थान-जयपुर।
- समस्त कार्यालयध्यक्ष, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान।
- समस्त अनुभागाध्यक्ष, निदेशालय, उदयपुर।
- एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, केन्द्रीय कार्यालय, उदयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
- वरिष्ठ निजी सचिव (निदेशक/अ.नि.प्र.), केन्द्रीय कार्यालय, उदयपुर।
- बिल लिपिक/एसीआर सेल/स्ट्रेन्थ लिपिक/वर्कचार्ज अनुभाग, केन्द्रीय कार्यालय, उदयपुर।
- समस्त संबंधित कार्मिक।
- रक्षित पत्रावली।

निदेशक

RajKaj Ref No.:
19547775

eSign 1.0

